



नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ परिसर में विभिन्न प्रजाति के हरे, सूखे आदि 04 वृक्ष "जैसे हैं, जहाँ हैं" के आधार पर नीलामी इस संस्थान पर दिनांक 21-04-2017 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित होगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व रू० 2000-00 (दो हजार रुपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बखशी का तालाब, लखनऊ" के नाम देय होगा, को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें आदि संस्थान की वेबसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है।


महानिदेशक

Dr. O.P. Pandey
Joint Director
D.U., State Inst. of Rural Development
B.K.T., Lucknow



नीलामी शर्तें

1. इन विभाग द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में संस्थान परिसर में यथास्थिति 04 वृक्ष जो निम्नवत् हैं -

क्र० सं०	प्रजाति / दशा	वृक्षों की गोलाई (से०मी० में)	वृक्षों की संख्या
1.	नीम / हरा	176	02
2.	आम / हरा	136. 233	01
3.	औंवला / हरा	99	01
योग			04

2. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व ₹0 2,000.00 (रुपये दो हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो 'महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ' के नाम देय होगा, को जमाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त धनराशि उसी में समायोजित कर ली जायेगी।
4. उल्लिखित पेड़ों के पातन, डुलाई आदि की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित बोलीदाता की होगी।
5. 50 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दिन तथा शेष पेड़ों के पातन से पूर्व जमा करना होगा।
6. पूरी धनराशि जमा करने के उपरान्त ही पेड़ों को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. नीलामी के एक साप्ताह के अन्दर ही पेड़ों को ले जाने की अनिवार्यता होगी।
8. पेड़ों के पातन आदि से यदि किसी अन्य पेड़ की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा उसके लिए संस्थान की नीलामी समिति द्वारा निर्धारित हर्जाना देना होगा।
9. कटे हुए पेड़ों को परिसर से बाहर ले जाते समय यदि किसी भवन/गेट आदि की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा इसके लिए संस्थान की नीलामी समिति द्वारा निर्धारित हर्जाना देय होगा।
10. उपरोक्त पेड़ों को कार्यालय अवधि में कमी भी देखा जा सकता है।
11. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली को रद्द करने का अधिकार होगा तथा इस विषय में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

महानिदेशक

